10रु. 10रु. Rs.10 COURT FEE INDIA
CANCELLED
दस रुपये TEN RUPEES

58

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

I/निगरानी/दमोह/भू०रा०/2017/4289

नर्मदा प्रसाद उम्र 57 साल , पिता जमाना प्रसाद शर्मा ,

निबासी– गांधी वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह म0 प्र0

............आवेदक

वनाम

B.O.R.
29 SEP 2017

1– महेश प्रसाद पिता नर्मदा प्रसाद चौरसिया ,

2– देवेन्द्र कुमार पिता नर्मदा प्रसाद चौरसिया ,

3– अशोक कुमार पिता नर्मदा प्रसाद चौरसिया ,

4– संजय कुमार पिता नर्मदा प्रसाद चौरसिया ,

निबासी – आजाद वार्ड हटा, तहसील हटा लिजला दमोह म0प्र0

...............अनावेदकगण

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निवेदन है:–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल हटा , तह0 हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 17/अ–12/2016–17 में स्वीकृत आलोच्य सीमांकन दिनांक 31/07/2017 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम हटा खास, स्थित भूमि खसरा नं 268/5, 268/6 , 268/20 रकवा 0.070 , 0.608 , 0.578 है0 भूमि के सीमांकन वावद अनावेदकगण द्वारा रानि हटा के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । जिससे लगकर आवेदक के नाम से खसरा नंबर 268/19, 268/21 , 268/24 रकवा 0.08 , 0.006 , 0.006

रिया (एड.)
सिविल कोर्ट सागर
कालोनी, सागर
451002

(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/4289 नर्मदाप्रसाद विरूद्ध महेशप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त हटा के प्रकरण क्रमांक 17/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 4.1.19	